भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1234

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान सम्मान निधि

1234. श्री माथेश्वरन वी.एस.:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसान को 2000 रुपये प्रति माह देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि क्षेत्र में किसानों के समक्ष आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर पीएम-किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि बढ़ाकर 25000 रुपये करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने किस आधार पर पीएम-किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष 6000 रुपये देने का आकलन किया है?

<u>उत्तर</u>

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया था। यह स्कीम विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है। इस स्कीम के तहत, तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष रुपये 6,000 का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है । पीएम-किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी डी.बी.टी. योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के, देश भर के सभी किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में रुपये 3.24 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया है।

(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं, जैसे बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से रुपये 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******